A PP. A
Crim-I

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

तहसीलदार मुकाम महवा

सरकार बनाम श्री सुरजबाई पत्नी प्रभु माली

धारा 91 LR Act नं. 352 सन् 18

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13-2-18	पटवारी हल्का की रिपोर्ट दर्ज कर अतिक्रमी को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 का नोटिस जारी कर पत्रावली दिनांक 28.2.18 को पेश हो। तहसीलदार तहसील-महवा (दौसा)	
28/2/18	आज पत्रावली पेश हुई। आवाज लगवाई गई। अतिक्रमी उपस्थित आया है। आज श्रीमान पीठासीन अधिकारी अवकाश पर है। पत्रावली दिनांक 8/3/18 को पेश हो।	ह. निः दरबासिंह (पुत्र)
8/3/18	आज पत्रावली पेश हुई। आवाज लगवाई गई। अतिक्रमी की ओर से उनका पुत्र दरबासिंह उपस्थित आया है। अतिक्रमी के द्वारा द्वारा अतिक्रमित रकबा पर अतिक्रमण किया जाना स्वीकार किया गया है। अत: ग्राम ~~[illegible]~~ पीतलीया वालाजी की अतिक्रमित भूमि से अतिक्रमी को भौतिक रूप से बेदखल किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर संलग्न पत्रावली है। तहसीलदार तहसील-महवा (दौसा)	दरबासिंह (पुत्र)

न्यायालय तहसीलदार महवा जिला दौसा (राज.)

मिसल नम्बर 342/18 तारीख रजू 19/2/18 रिपोर्ट पटवारी हल्का पीलोड़ी बनाम

श्री सुखवाई पुत्र w/o प्रभु जाति माली निवासी पीतलिया कालाजी तहसील महवा

अन्तर्गत धारा 91 राज. भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक 8/3/18

आज यह पत्रावली बमुकाम महवा हमारे समक्ष पेश हुई पटवारी हल्का की रिपोर्ट है कि उक्त श्री सुखवाई ने ग्राम पीतलिया कालाजी की भूमि ख.न. 838 रकबा 0.01 किस्म गैरमु०रास्ता फसल रबि / ~~खरीफ~~ संवत 20 74 में गेहूँ कर अतिक्रमण किया है । इस पर अप्रार्थी के विरूद्ध प्रकरण अंतर्गत धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 दर्ज किया जाकर नोटिस जारी किया जो बाद तामिल शामिल पत्रावली है। अप्रार्थी नो आर से पूर्व उपस्थित आया। ~~उसके द्वारा जबाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया~~ उक्त जबाब में उसके द्वारा अपने बचाव मे कोई खास गवाह / सबूत प्रस्तुत नही किया है। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी अतिक्रमण की पुष्टि होती है प्रकरण नियमन योग्य नही है। अतिक्रमी दोषी है।

अतः आदेश है कि अप्रार्थी को अतिक्रमित आराजी ख.न. 838 रकबा 0.01 किस्म गैरमु०रास्ता वाके ग्राम पीतलिया कालाजी से बेदखल किया जाता है । तथा अप्रार्थी को अतिक्रमित भूमि के वार्षिक लगान का 0.45 x 50 गुणा 22.50 शस्ति से दण्डित किया जाता है । तथा इस पर खडी फसल गेहूँ को निलाम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं । भू.अभिलेख निरीक्षक व पटवारी को अप्रार्थी की खडी फसल को ~~नष्ट~~ / नीलाम करने तथा भौतिक रूप से अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने तथा पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश जारी हों । तहसील राजस्व लेखाकार व पटवारी को मांग कायमी वसूली हेतु लिखा जावे । पत्रावली फैसल शुमार हो । नम्बर से कम हो ।

निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

तहसीलदार
तहसील-महवा (दौसा)

रजिस्टर ... नं० 65 पर
वर्ष 2017-18 ...
की राशि ... 22.50 ...
की जमा ...
दिनांक 21/3/18
राजस्व लेखाकार
तहसील-महवा